यह कि अप्रार्थीगण को एक माह पूर्व पैतृक कृषी भुमि में से अपने हक व हिस्सा की भुमि का अपने नाम लगाने व खाता विभाजन करवाने के लिए कहा तो स्पष्ट ईन्कार हो गये, कि प्रार्थीया पैतृक भुमि से अपने हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारी है व उसी अनुसार खाता विभाजन करवाने की अधिकारी है। विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम होने के कारण अप्रार्थीगण इस भुमि को अन्यन्त्र बैय करने की फिराक में है जिससे प्रार्थीया को न पुरा होने वाला नुकनाशान होगा। भुमि पैतृक होने के कारण प्रार्थीया का हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही अधिकार है इससे प्रथम द्रष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष मे है। अगर अप्रार्थीगण इस मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीया को न पुरा होने वाला नुकशान होगा ।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार कर ता फैसला विवादित भुमि को रहन बैय व मुन्तकिल न करे व रिकार्ड में किसी भी प्रकार से परिवर्तन न करें। श्रीमान जी की अतिः कृपा होगी।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एकपक्षिय बहस सुनी गई। जिसपर प्रश्नगत रकबा पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी शुदा है। प्रार्थना पत्र पर तलबी हेतु नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री महेन्द्र सैन अधिवक्ता ने वकालतनामा व जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जवाब अप्रार्थी सं. 2, 3 की ओर से निम्न प्रकार से है–यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 मे यह कथन कि वाद पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत हो जाना स्वीकार है लेकिन प्रार्थीया को वाद पत्र मे किसी भी प्रकार से कोई भी कामयाबी हासिल नही होगी इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्रारम्भ से ही शुन्य एवं आधारहीन होने के कारण काबिल खारिज फरमाया जावे।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 सजरा खानदान संबंधित है जिसमे मिन अप्रार्थी सं. 3 का नाम अमर सिंह दर्ज किया हुआ है जबकि मिन अप्रार्थी सं. 3 का सही एवं वास्तविक नाम कुम्भाराम पुत्र सुरजाराम है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है जो कि स्वीकार है। दादा श्री चन्दुराम की चक 18 जेआरके की कुल 6.136 हैक्ट. स्वयं अर्जित कृषि भूमि थी।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 इस हद तक स्वीकार है कि दादा श्री चन्दूराम के देहान्त के पश्चात उनके नाम वर्णित चक 18 जेआरके की कुल 6.136 हैक्ट. निस्फ–निस्फ हिस्सा सुरजाराम व काशीराम को प्राप्त हुआ लेकिन यहां प्रार्थीया को यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक था कि चन्दूराम के देहान्त के पश्चात उनके तीन पुत्र सुरजाराम, काशीराम, लेखराम व 7 पुत्रीयां मे से मात्र दो पुत्र सुरजाराम व काशीराम को किस दस्तावेज या किस रूप मे कृषि भूमि प्राप्त हुई जो कि प्रार्थीया द्वारा कहीं भी वर्णित नही किया गया है। मात्र चन्दूराम के नाम वर्णित कृषि भूमि का अंकन करके और चन्दूराम से सुरजाराम व उनके दुसरे पुत्र को जमीन प्राप्त हुई है का अंकन किया गया है जिससे स्पष्ट नही होता है कि सुरजाराम को प्राप्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 असत्य, मनगढ़त एवं कुटरचित होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 मे स्व. सुरजाराम के नाम वर्णित कृषि भूमि स्व. सुरजाराम की पैतृक कृषि भूमि न होकर स्वयं अर्जित कृषि भूमि थी। मिन अप्रार्थीगण के दादा श्री चन्दूराम के नाम से चक 18 जेआरके के प.नं. 44/255 45/255 कु[illegible]ि. भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जो कि दादा श्री चन्दूराम की स्वयं [illegible] भूमि थी। दादा श्री चन्दूराम अपने दोनो पुत्र सुरजाराम व काशी[illegible] होकर तथा सुरजाराम व काशीराम से हार्दिक स्नेह होने के कारण से अपनी स्व[illegible] अर्जित कृषि भूमि चक 18 [illegible]के की कुल 6.136 हैक्ट. की वसीयत रोबरू गवाहान नि[illegible]त व तहरीर करवाई थी [illegible]कि दादा श्री चन्दूराम के देहान्त के पश्चात सुरजाराम व काशीराम को मुताबिक वसीयत प्राप्त हुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 10:43:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा।

और मुताबिक वसीयत सुरजाराम व काशीराम के नाम से राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज हुई। इससे स्पष्ट है कि सुरजाराम को चन्दुराम द्वारा की गई वसीयत से प्राप्त कृषि भूमि सुरजाराम की पैतृक कृषि भूमि न होकर सुरजाराम की स्वयं अर्जित कृषि भूमि थी जिसमे प्रार्थीया का किसी प्रकार से जन्म से हक व हिस्सा निहित नही बनता और ना ही प्रार्थीया सुरजाराम के नाम प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित 3.067 हैक्ट. में से 1/9 हिस्सा की घोषणा प्राप्त करने की अधिकारिनी है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 (सुरजाराम) की स्वयं अर्जित कृषि भूमि थी तो सुरजाराम को अपनी कृषि भूमि का हर प्रकार से हस्तांतरण करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार प्राप्त था इसलिए सुरजाराम द्वारा अपने जीवनकाल मे वादग्रस्त कृषि भूमि चक 18 जेआरके के प.नं. 44/255 के किला नं. 6 ता 16, प.नं. 45/255 के किला नं. 1 ता 4 कुल 3.067 हैक. की वसीयत मिन अप्रार्थीगण के हक मे रोबरू गवाहान तहरीर एवं निष्पादित दिनांक 26.02.2020 को करवाई। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र की दफा 4 मे वर्णित कृषि भूमि मे से किसी प्रकार से पैतृक हक व हिस्सा नही बनता है और जब प्रार्थीया का किसी भी प्रकार से हक हिस्सा ही नही बनता तो प्रार्थीया किसी भी रूप मे खाता तकसीम करवाने की अधिकारिनी नही है। मात्र तथ्यों को रंगत देने के लिए प्रार्थीया द्वारा झूठे एवं मनगढ़त कथन अंकित किये है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है। मात्र तथ्यों को रंगत देने के लिए प्रार्थीया द्वारा झुठे कथन का अंकन किया गया है। प्रार्थीया को प्रारम्भ से ही ज्ञान था कि प्रार्थीया के पिता सुरजाराम के नाम से वर्णित कृषि भूमि सुरजाराम की स्वयं अर्जित कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थीया का किसी प्रकार से हक व हिस्सा नही बनता है, मात्र मिन अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष मे होकर मिन अप्रार्थीगण के पक्ष मे है इसलिए प्रार्थीया किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिनी नही है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र शून्य एवं आधारहीन होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1/1 व 4 के नोटिस विधिवत तामिल होने पर हाजिर नहीं आने के कारण एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई है। बार बार अवसर दिये जाने पर भी स्टेट जवाब बंद किया जाता है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि पैतृक कृषि भुमि है जिसमें प्रार्थीया का भी हक व हिस्सा है। विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम होने के कारण अप्रार्थीगण इस भुमि को अन्यन्त्र बैय करने की फिराक में है जिससे प्रार्थीया को न पुरा होने वाला नुकशान होगा। भुमि पैतृक होने के कारण प्रार्थीया का हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही अधिकार है इस लिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला स्थाई की जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थीया के पिता सुरजाराम के नाम से वर्णित कृषि भूमि सुरजाराम की स्वयं अर्जित कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थीया का किसी प्रकार से हक व हिस्सा नही बनता है, मात्र मिन अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कथन किया कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 10:43:56 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्ष सुनी गई पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण 4 वर्ष से लम्बित है हक का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद मे प्रभावी पैरवी की जा सकती है दिनांक 14.02.2020 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

विवेचन स्वरूप दिनांक 14.02.2020 को जारी स्थगन आदेश ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 10:43:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 07/2020

सुमित्रा देवी उम्र 32 वर्ष पुत्री सुरजाराम पत्नि शंकर लाल जाति कुम्हार साकिन धर्मपूरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।

——वादिया

—:बनाम:—

1. सुरजाराम पुत्र श्री चन्दुराम जाति कुम्हार साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़। (कलम जन)

1/1. गीता देवी पत्नि सुरजा राम जाति कुम्हार साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा।

2. मनफूल पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार साकिन अयालकी तह० पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

3. अमर सिंह पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

4. स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

5. स्टेट जरीये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— प्रतिवादीगण

—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री सोहन लाल सुथार —— प्रार्थीया
2. श्री महेन्द्र सैन —— अप्रार्थी सं. 2 व 3
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। —— अप्रार्थी सं. 5

—:: निर्णय :—

दिनांकः— 21/10/2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अप्रार्थी गण द्वारा अधिवक्ता श्री सोहन लाल सुथार प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र प्रार्थीया निम्नप्रकार ळे कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र श्री मान जी के न्यायालय में पेश हो चुका है जिसमें कामयाबी की पुरी संम्भावना है।

यह कि प्रार्थीया के दादा चन्दु राम पुत्र रूपराम के नाम चक 18 जेआरके में खाता संख्या 11/3 के प.नं. 44/255 (30) में किला नं. 1 ता 16 तथा प.नं. 45/255 (31) में किला नं. 1 ता 9 कुल 6.136 हैक्ट. नहरी मय खाला रास्ता खातेदारी दर्ज थी।

यह कि प्रार्थीया के दादा चन्दुराम के फौत होने के पश्चात प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 सुरजाराम के नाम निश्फ हिस्सा दर्ज हुआ था तथा निश्फ हिस्सा चन्दुराम के दुसरे पुत्र के नाम दर्ज हुआ। अप्रार्थी संख्या एक के नाम जिस प्रकार इन्तकाल दर्ज हुआ वो निम्न प्रकार हैः—

चक 18 जे आर के में तत्कालीन खाता संख्या 70/66 के प.नं. 44/255 (30) में किला नं. 6/1/0.1260, 7/1/0.1270, 8/1/0.1260, 9/1/0.1260, 10/1/0.0950, 11/0. 1900, 12 ता 16 = 1.265 तथा प.नं. 45/255 (31) में किला नं. 1 ता 4 = 1.0120 हैक्ट. इस प्रकार दोनों पत्थर की कुल 3.0670 हैक्ट. नहरी मय रास्ता खातेदारी।

यह कि उपरोक्त पैरा 4 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीया के दादा चन्दुराम के फौत होने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने नाम करवा ली थी जो पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीया का भी हक व हिस्सा है। प्रार्थीया का 3.0670 हैक्ट. भूमि में हिस्सा वाजिब बनता है जिसकी खातेदारी प्रार्थीया प्राप्त करने की अधिकारी है व खेवट मन्दी के हिसाब से खाता अलग करवाना चाहती है। तमाम भुमि अप्रार्थी संख्या एक के नाम होने से प्रार्थीया के हकुक पर विवरीत असर पड रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 इस भूमि को अन्यत्र बैचने की फिराक में है जिससें प्रार्थीया को न पूरा होने वाला नुकशान होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 10:43:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा